



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, जयपुर प्रथम

कार्यालय : 610-बी, एडीआर नई बिल्डिंग, शिव मार्ग, कलेक्ट्री सर्कल, बनीपार्क, जयपुर

Tel/ Fax :-0141-2947150 Email:-dlsal7jaipurmetro@gmail.com

क्रमांक:- 2495

दिनांक:- 13/06/2025

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना पत्र

02/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस कार्यालय के अधीन लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के कार्यालय के लिये पूर्णतया अस्थायी पद के लिये निविदा पर निम्नानुसार कार्मिक, दर अनुबन्ध पर सेवा उपलब्ध कराने हेतु विनिर्दिष्ट (इसी कार्य में सलग्न) पंजीकृत बोलीदाता जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 (यदि पंजीकृत हो), कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (यदि पंजीकृत हो), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (आवश्यकतानुसार), आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, अनुमानित दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए दर अनुबन्ध हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई पद)	कार्मिकों की संख्या	अधिकतम देय पारिश्रमिक प्रतिमाह	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	रिसोर्षानिस्ट कम डेटा एड्री ऑपरेटर	01	19000/-	3420	200	दिनांक 26.06.2025 प्रातः 10:00 बजे तक	दिनांक 26.06.2025 प्रातः 11:00 बजे तक	दिनांक 26.06.2025 प्रातः 11:15 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण <http://sppp.raj.nic.in> विभागीय वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/jaipurmetro-I> पर देखा जा सकता है।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर महानगर, प्रथम
दिनांक: 13/06/2025

क्रमांक: 2496-2503

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को भेजकर लेख है कि जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
- श्री विष्णु कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति दिनांक जारी को ही <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड कार्यवाही करें।
- नोटिस बोर्ड में चरप्पा हेतु (जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम/जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला/कार्यालय हाजा/जिला कलक्टर/सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर)
- संबंधित पत्रावली।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर महानगर, प्रथम



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम
खुली ई. बोली प्रपत्र-1
(तकनीकी बोली)

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम
2. डाक का पता
3. फोन/मोबाईल नं.
4. ई-मेल आई डी.
5. बोली प्रपत्र शुल्क रुपये (1) रुपये 200/- (दो सौ रुपये) जरिये डीडी No.....
6. प्रतिभूति राशि रुपये 3420/- जरिये डीडी No.....
- "सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम" के नाम से (देखे शर्त बिन्दु संख्या 37)
- "Secretary District Legal Service Authority, Jaipur Metro-1"
7. बोलीदाता/संवेदक के बैंक खाते का विवरण- (बैंकपास बुक/कौंसिल बैंक की स्पष्ट प्रति संलग्न करें)
 बैंक का नाम
- IFSC Code
- खाता संख्या
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:-

क्र. सं.	विवरण	Reg. No.	Date of Reg.	Annexure No.
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970)			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1948			
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
5	आयकर (पैन नम्बर)			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956/2013			
7.	गत तीन वर्षों के टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (देखे शर्त बिन्दु संख्या 35)			
8.	अनुभव का विवरण (अपने लैटर हैड पर पृथक से सूची संलग्न करें और दस्तावेजों की संख्या निर्धारित कॉलम में लिखें) (देखे शर्त बिन्दु संख्या 36)			
9.	बोनाफाइड डीलर होने एवं ब्लैक लिस्ट नहीं होने के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र			

नोट:-नियमानुसार जो भी लागू है, उसमें सम्पूर्ण सूचनार्यें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मैं/हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वारा जारी की गई खुली ई. बोली सूचना संख्या 02 दिनांक 13.06.2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली सूचना की सभी सामान्य/विशिष्ट/अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।


 सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 जयपुर महानगर प्रथम

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, जयपुर प्रथम

कार्यालय : 610-बी, एडीआर नई बिल्डिंग, शिव मार्ग, कलेक्ट्री सर्कल, बनीपार्क, जयपुर

Tel/ Fax :-0141-2947150 Email:-dlsa17jaipurmetro@gmail.com

खुली बोली प्रपत्र-2

(वित्तीय बोली/प्राईस बिड)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु (कार्य आदेश की तिथि से 31.03.2026 तक) कार्मिकों की सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड में हमारी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	पद का नाम	कार्मिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या			प्रस्तावित राशि रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह
		कार्मिक श्रेणी	कार्मिकों की संख्या	सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज तथा ईपीएफ/ईएसआई सहित अधिकतम राशि (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति)	
1	2	3	4	5	6
2.	रिसोएनानिस्ट कम डेटा एट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल	01	19000	

नोट-

- उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 6 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ अंकित की जायेगी।
- किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि कॉलम संख्या 5 (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) से अधिक नहीं होगी तथा इसमें सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, सर्विस चार्ज तथा ईपीएफ/ई.एस.आई शामिल होंगे।
- कॉलम 6 में दरें शून्य/ऋणात्मक (-) एवं पैसे में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- राजस्थान श्रम विभाग की अधिसूचना 13/12/2024 से न्यूनतम मजदूरी से कम की दरें भरी जानी की स्थिति में निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।
- निविदादाता को अपने लैटर हैड पर भुगतान का विवरण निम्न प्रकार न्यूनतम मजदूरी सहित प्रस्तुत किया जाना है-

क्र.सं.	कार्मिक श्रेणी	कार्मिकों की संख्या	न्यूनतम भुगतान प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति (उक्त राशि में मजदूरी, ईपीएफ एवं ईएसआई शामिल हैं।)	सर्विस चार्ज जी.एस.टी सहित	कुल
1	2	3	4	5	6
रिसोएनानिस्ट कम डेटा एट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल	01	19000		

नोट- उक्त सारणी के कॉलम संख्या 6 में अंकित दरें और बीओक्यू के कॉलम संख्या 6 में दरें समान होनी आवश्यक हैं।

- केवल बीओक्यू ही मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम नियम एवं शर्तें

Important Instruction : The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012 (hereinafter called the act) and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules, 2013 (hereinafter called the rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. जयपुर निवासी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. उक्त संविदा सेवाएँ इस कार्यालय के अधीन Legal Aid Defense Council जयपुर महानगर प्रथम के लिये ली जावेगी।
3. बोलीदाता को तकनीकी एवं वित्तीय बोलिया पृथक-पृथक प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बोली में वांछित समस्त प्रमाणित दस्तावेज, घोषणा प्रपत्र, बोली सूचना प्रपत्र जिसमें वर्णित समस्त शर्तों, परिशिष्ट ABCD सहित सभी पृष्ठों पर बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपनी सहमति के साक्ष्य स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर मोहर/सील लगाई जावेगी होने चाहिये।
4. बोली प्रपत्र की वैधता:- निविदा शुल्क और बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा प्रस्ताव अमान्य और निरस्त समझे जावेंगे।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का होगा।
6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ ऑल लाईन प्रस्तुत करनी होगी। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता श्रमिक अनुबंधित अधिनियम 1970 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधानों के बाध्यता में नहीं आता है तो उसे इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सफल संवेदक/बोलीदाता का होगा।
8. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में नालसा/रालसा की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस कार्यालय द्वारा सफल संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
9. सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेगे, जिन पर सफल बोलीदाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्पलाइन नम्बर एवं बोलीदाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित जाएगा।
10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सफल निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालन की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की

सचिव

प्रति प्रस्तुत नहीं नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व सफल संवेदक/बोलीदाता का होगा।

12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व सफल संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सफल संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यदि सफल संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी इसके लिए उपापन संस्था (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम) का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत केवल न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान की सीमा तक का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व सफल संवेदक/बोलीदाता का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व सफल संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम) और इसके समस्त उच्चतर अधिकारियों/प्राधिकारियों को शामिल करते हुए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. यदि सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम) और इसके समस्त उच्चतर अधिकारियों/प्राधिकारियों को शामिल करते हुए को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम) इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
17. यदि किसी संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्येनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
18. कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपापन संस्था में कमी या उपापन नहीं करने की स्थिति में सफल संवेदक/बोलीदाता किसी भी दीवानी/राजस्व दावे या प्रतिकार का अधिकार नहीं होगा। कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त निबंधन एवं दर पर आदेशित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना ही होगा।
19. सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
20. अनुबन्धित सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को भी इस कार्यालय की दर संविदा कीमत से कम कीमत पर मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए अपनी कीमत कोट (quote) करता/कम करता है/बोली देता है तो उस दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से ही इस कार्यालय की दर भी स्वतः कम हो जायेगी और इस कार्यालय की दर संविदा की शेष अवधि, जिसमें संविदा की गई अभिवृद्धि की अवधि भी शामिल होगी, दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
21. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकेंगी।
22. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।


सचिव

विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

23. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (sub-let) पर नहीं देगा।
24. जिस बोलीदाता/संवेदक की बोली स्वीकार की जाएगी वह स्वीकृति पत्र दिए जाने की तिथि से 10 दिवस के भीतर करार पत्र प्रस्तुत करेगा एवं परफोरमेंस सिक्क्योरिटी जमा कराएगा। सप्लाई आदेश दिए जाने की तिथि से 07 दिवस में मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
25. **मूल्यांकन की कसौटी**— तकनीकी रूप से सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु सं. 08 में उल्लेखित सारणी के क्र.सं. 1 से 6 तक अंकित मदों में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। क्रम संख्या 7 एवं 8 के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर तकनीकी रूप से अयोग्य, घोषित नहीं किया जावेगा परन्तु वित्तीय बोली में न्यूनतम दरें समान होने पर ऐसे बोलीदाता को क्वालीफाइड बिड के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जावेगा। तालिक के क्रम सं. 9 पर अंकित घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। बोलीदाता के वित्तीय बिड प्रपत्र के कॉलम 6 अंकित न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाई बिड का मूल्यांकन किया जावेगा। दरें समान होने पर अन्तिम निर्णय उपापन कमेटी द्वारा लिया जावेगा। इस सम्बन्ध में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।
26. बोली का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
27. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा -
 (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
 (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
 (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृत की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता है।
 (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और उन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
28. **पुनरादेश**:- इस कार्यालय द्वारा विद्यमान संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात किया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73(2)(ख) अनुसार निम्नलिखित होगी मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।
29. **करार (Agreement)** :- बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता/संवेदक को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 10 दिवस में रुपये 500/- अक्षरे पाँच सौ मात्र की राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस. आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। निविदा की समस्त शर्तें करार का भाग होगी। करार का समस्त वयय सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा।
30. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Work Performance Security):-**
 (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता/संवेदक को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 10 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश/अनुमानित वार्षिक मूल्य की पाँच प्रतिशत या राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/बैंक गारन्टी/ई. बैंक गारन्टी/नियमों में वर्णित अन्य कोई विलेख जो Secretary District Legal Services Authority, Jaipur Metropolitan-I के नाम पर जयपुर में देय हो से जमा करानी होगी।
 (ब) सफल बोलीदाता/संवेदक की बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
 (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
31. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):-** कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

- (क) जब सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 (ख) जब सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा सम्पूर्ण सेवा/सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सेवा/सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

32. भुगतान:-

(क) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। बिल के साथ संबंधित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वारा जारी संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र मय उपस्थिति पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम की संतुष्टि पर ही सफल बोलीदाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(ग) सफल संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई अंशदान की राशि सम्बन्धित विभागों में स्वयं के स्तर से ही जमा करानी होगी, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से उसके अंशदान की कटौती और सफल संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों (कम्प्यूटर ऑपरेटर-मशीन विद मैन)के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान को स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही सफल बोलीदाता/संवेदक को उसके आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

33. परिनिर्धारित क्षति- परिनिर्धारित क्षति के लिए निम्न प्रकार कार्यवाही की जावेगी-

- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों हेतु की जावेगी जिनकी बोलीदाता सेवा/सप्लाई करने में असफल रहा है

क.	आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 25 प्रतिशत तक विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
ख.	आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से अनधिक विलम्ब के लिए	5 प्रतिशत
ग.	आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से अनधिक विलम्ब के लिए	7.5 प्रतिशत
घ.	आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 75 प्रतिशत तक विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

- विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- परिनिर्धारित हानि की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- अगर प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा के अधीन सेवा/माल की सप्लाई को पूरा करने हेतु समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी के लिए आदेश दिया है लेकिन वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा।
- अगर माल/सेवा के प्रदाय में विलम्ब बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारणों से हुई हो तब सुपुर्दगी की अवधि में बढ़ोतरी परिनिर्धारित क्षति सहित अथवा रहित की जा सकेगी।
- उपरोक्त पश्चात् भी अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सप्लाई नहीं की जाती है तो अनुमोदित फर्म की रिस्क एवं कोस्ट पर क्रय कर लिया जावेगा। अन्तर राशि की वसूली आदेशित फर्म से की जावेगी अथवा जमा धरोहर राशि से कर ली जावेगी।


 सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 जयपुर महानगर प्रथम

34. यदि किसी भी दर में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधन किया जाता है तो परिवर्तित दरें लागू होंगी। माननीय रालसा के द्वारा यदि वर्ष के मध्य नये आदेश प्रसारित किए जाते हैं तो वे मान्य होंगे।
35. तकनीकी प्रपत्र में अंकित तालिका के क्रम सं. 7 के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के टर्न ओवर में गत तीन वर्ष "वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25" से है। गत तीन वर्षों के टर्न ओवर औसतन रुपये 5 लाख से कम ना हो।
36. कार्य के अनुभव हेतु किसी एक कार्य आदेश या भुगतान प्रमाण पत्र या दर अनुमोदन आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
37. निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 200/- है। जिसका भुगतान डीडी के माध्यम से जमा कराये। बोली प्रतिभूति राशि निविदा मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी जिसका मूल्य रुपये 3420/- जरिये डीडी से जमा कराये। विवरण भरते समय कार्यालय का नाम **Secretary District Legal Service Authority, Jaipur Metro-1**। गलती होने पर कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी भी निविदादाता को किसी भी शुल्क/राशि की डीडी जमा करवाने हेतु अन्य कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
38. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार ही यह संविदा सेवा ली जा रही है। समय, वित्तीय एवं अन्य परिवर्तन होते हैं तो वह मान्य होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश/आदेश प्राप्त होने पर किसी भी समय संविदा सेवा समाप्त/परिवर्तित की जा सकती है।
39. यह पूर्णतया अस्थाई पद हेतु संविदा सेवा ली जा रही है जिसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
40. उपापन समिति के पास सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
41. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से संपर्क किया जा सकता है-

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम
प्रथम तल, बी-610, एडीआर बिल्डिंग, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
दूरभाष : 0141-2947150, ईमेल -dlsa17jaipurmetro@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

विशिष्ट शर्तें

विज्ञप्ति में जारी पद के निम्नानुसार कार्य होंगे दक्ष कार्मिकों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

1. रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के कार्य –

- ◇ Receptionist-cum-Data Entry Operator Greeting clients and visitors and answering visitor inquiries.
- ◇ Answering and routing incoming calls on a multi-line telephone system.
- ◇ Scheduling and routing legal aid seekers.
- ◇ Maintaining the waiting area, lobby or other office areas.
- ◇ Scanning, photocopying, faxing.
- ◇ Collecting and routing mail and hand-delivered packages.
- ◇ Answering face-to-face enquiries and providing information when required.
- ◇ Uploading, at the initial point, legal aided cases on NALSA portal and updating the information from time to time.
- ◇ Any work/duty assigned by Legal Services Authority.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जम्नपुर महानगर प्रथम

घोषणा पत्र

(50 रुपये के नोड ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है व नोटेरी प्रमाणित)

बोली की समस्त जानकारी/शर्तें को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/ प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है। हमारी फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी कार्यालय द्वारा कभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वककार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।



सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबपुर महानगर प्रथम

बोलीदाता के हस्ताक्षरमय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain an unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any corruption including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that put them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation: Address:


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Annexure B:**Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bids submitted to District Legal Services Authority, Jaipur Metropolitan-
for procurement of Conctural Service in response to their Notice Inviting Bids No 02 Dated 13-06-2025

I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentation as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation: Address:


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is **Chairman, DLSA Japur Metropolitan- I**
The designation and the address of the second Appellate Authority is **Member Secretary, RSLSA Japur**

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provision of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation: Address:


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Annexure D: Additional Conditions of Contract**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotal shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

Signature of bidder
Name:
Designation: Address:

CHECK LIST

Name of Firm :-.....निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाना होगा।

Tender No.....

Envelop - A

क्र.सं.	विवरण	Reg. No.	Date of Reg.	Page No.
1	निविदा प्रपत्र शुल्क DD No.....			
2	EMDDD No.....			
3	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970)			
4	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
5	कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1948			
6	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
7	आयकर (पैन नम्बर)			
8	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956/2013			
9	गत तीन वर्षों के टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र			
10	केवल न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में अनुभव का विवरण (अपने लैटर हैड पर पृथक से सूची संलग्न करें और दस्तावेजों की संख्या निर्धारित कॉलम में लिखें)			
11	बोनाफाइड डीलर होने एवं ब्लैक लिस्ट नहीं होने के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र			
12	Anexxure :- A B C D			



सचिव
मिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम

AGREEMENT

(See Rule 68)

(On non-judicial Stamp Paper of Rajasthan Government of the value as per S.R.-16)

An agreement made this _____ day of _____ between _____
 ----- (hereinafter called "the approved supplier", which expressions shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

02. Where as the approved supplier has agreed with the Government to supply to the _____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column _____ of the said schedule.

03. And where as the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in _____.

(1) Cash/Bank Draft/Challan No./Banker Cheque No. _____ dated _____.

(2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

(3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

04. Now these Presents witness:

(01) In consideration of the payment to be made by the Government through _____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

(02) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed _____ to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(03) Letters Nos. _____ received from tenderer and letters nos. _____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(04) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through _____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(c) The mode of Payment will be as specified below:-

1. _____ 2. _____ 3. _____

05. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

S.No.	Items	Quantity	Delivery period
-------	-------	----------	-----------------


 सचिव
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 जयपुर महानगर प्रथम

06. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

- a. Delay upto the one fourth period of the prescribed delivery period. 2.5%
- b. Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period. 5.0%
- c. Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period. 7.5%
- d. Delay exceeding three fourth of the prescribed period. 10% Note:

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of

occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.

07. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness where of the parties here to have set their hand son the.....day of.....20.....

Signature of the approved supplier.

Signature with

Designation Date:

Date:

Witness No. 1

1. Witness

Witness No. 2

2. Witness


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर प्रथम